डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

कार्यालय :265228, 264236
फेक्स : 07582–264236
E mail - registrar31@rediffmail.com
registraroffice@dhsgsu.ac.in

कुलसचिव

विश्वविद्यालय कार्यालय, सागर 470003(म.प्र.)

क्रमांकः डीसीडीसी/2019/2611

03 जून 2019

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संचालित सामान्य पाठ्यक्रमों में सत्र 2019–20 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु **प्रवेश प्रक्रिया के नियम एवं समय सारणी जारी किये जाते हैं ।**

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव

संलग्न : यथोक्त ।

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, अकादमिक गतिविधियाँ, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
2. संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
3. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियाँ, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
4. परीक्षा नियंत्रक, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
5. प्राचार्य, समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन, भोपाल
7. प्रोफेसर इंचार्ज, आई.टी.सेल–को विश्वविद्यालय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. कुलपति के सचिव–को कुलपति महोदय के सूचनार्थ
9. कुलसचिव के निजी सहायक
10. कार्यालयीन नस्ती

प्रभारी कुलसचिव

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से संबद्ध
अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु नियम एवं समय–सारणी

विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2019–20 में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रकिया के संबंध में निम्न नियम एवं प्रवेश समय–सारणी निर्धारित किये जाते है :

1. महाविद्यालयों में वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संचालित पाठ्यक्रमों के लिए ही यह प्रवेश प्रकिया लागू होगी अर्थात् महाविद्यालय उन्हीं पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश प्रदान करेगें जिन पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है ।

2. महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्तमान सीट संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

3. सभी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए एम.पी. आनलाइन के माध्यम से मेरिट के आधार पर प्रवेश की प्रकिया आनलाइन सम्पन्न होगी । पंजीकृत छात्र/छात्राओं के मूल दस्तावेज विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा सत्यापन किये जाने के उपरांत ही महाविद्यालय में अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर गुणानुकम के आधार पर मेरिट सूची एम.पी. आनलाइन द्वारा जारी की जावेगी । इसके पश्चात् मेरिट सूची अनुसार आनलाइन कौंसिल के माध्यम से प्रवेश प्रकिया पूर्ण की जायेगी । प्रवेशित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड की जावेगी ।

4. संबद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश उपरांत आनलाइन रिपोर्टिंग विश्वविद्यालय के पोर्टल पर करनी होगी ।

5. सभी महाविद्यालयों में पूर्व में निर्धारित सीट संख्या, कोर्स अनुसार जो पोर्टल पर सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु दर्ज है वही संख्या एवं कोर्स मान्य होंगे ।

6. (1)विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. (बार काउसिंल आफ इंडिया) द्वारा निर्धारित सीट संख्या एवं प्रवेश नियम मान्य होंगे ।

   (2) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है ।

   (3) सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षायें राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के सम मान्य होगी ।

(4) बी.ए., बी.काम., बी.एससी., बी.सी.ए., बी.बी.ए., एम.ए., एम.काम., एम.एससी. के लिए प्रवेश संबंधी नियम डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के मान्य होगे ।

(5) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होगी।

7. महाविद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन की आनलाइन प्रकिया विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा पूर्ण की जावेगी ।

8. आनलाइन प्रवेश प्रकिया समय–सारणी –

क्र.	कार्य का विवरण	निर्धारित तिथियाँ	
		दिनांक से	दिनांक तक
	प्रथम चरण		
1	आवेदकों के आनलाईन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं का चयन/(वरीयता व्यक्त करना)	11.06.2019	24.06.2019
2	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन	24.06.2019	26.06.2019
3	मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन	28.06.2019	
4	आवंटित महाविद्यालय में आवेदक प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कर पोर्टल के माध्यम से आनलाइन शुल्क का भुगतान करना ।	29.06.2019	04.07.2019
	द्वितीय चरण		
5	आवेदकों के आनलाईन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं का चयन/(वरीयता व्यक्त करना)	05.07.2019	15.07.2019
6	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन	16.07.2019	17.07.2019
7	मेरिट एवं वरीयता अनुसार द्वितीय चरण में सीट आवंटन	19.07.2019	
8	आवंटित महाविद्यालय में आवेदक प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कर पोर्टल के माध्यम से आनलाइन शुल्क का भुगतान करना ।	20.07.2019	23.07.2019
	तृतीय चरण		
9	आवेदकों के आनलाईन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं का चयन/(वरीयता व्यक्त करना)	24.07.2019	30.07.2019
10	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन	31.07.2019	01.08.2019
11	मेरिट एवं वरीयता अनुसार तृतीय चरण में सीट आवंटन	02.08.2019	
12	आवंटित महाविद्यालय में आवेदक प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कर पोर्टल के माध्यम से आनलाइन शुल्क का भुगतान करना ।	03.08.2019	07.08.2019

9. विश्वविद्यालय को किसी भी समय विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा यदि यह पाया जाता है कि – (अ) उसने न्यूततम अर्हता पूर्ण नहीं की है । (ब) झूठे एवं गलत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है अथवा सत्य छुपाने पर और इसी प्रकार अन्य कारण पाये जाने पर।

2/3

10. प्रवेश से संबंध में सभी संदर्भो में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम प्रभावशील होंगे ।

11. आरक्षण के संबंध में शासन के नियम लागू होगे ।

12. विश्वविद्यालय के पोर्टल पर दर्ज एवं निर्धारित शुल्क ही महाविद्यालय द्वारा लिया जावेगा ।

13. महाविद्यालय प्रवेशित प्रति विद्यार्थी से 50/– रूपये दस्तावेज सत्यापन शुल्क जमा करेगा एवं इस शुल्क को प्रवेश प्रकिया पूर्ण होने के तत्काल बाद विश्वविद्यालय में जमा करेगा ।

14. विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन प्रकिया के समय विद्यार्थी स्वयं आनलाइन नामांकन शुल्क जमा करेंगे ।

15. विद्यार्थी के दस्तावेज का विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन करने एवं सीट आवंटन के उपरांत विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय अपने Login से विद्यार्थी की आनलाइन रिपोर्टिंग करेगा । तत्पश्चात प्रवेशित छात्र शैक्षणिक शुल्क आनलाइन जमा करेगा ।

16. प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों को एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर सर्वप्रथम निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ पंजीयन कराना होगा । जिसमें वह तीन महाविद्यालय की प्राथमिकता दे सकता है ।

17. पंजीयन उपरांत दस्तावेज सत्यापन का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा ।

18. प्रवेश के तत्काल बाद महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जावेगी जिसमें टी.सी., माइग्रेशन, फीस जमा एवं प्रवेश (Admitted) दिया गया की जानकारी होगी ।

----000----

07/6/18